CNRN-UPGD01001609.2026

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैगेस्टर एक्ट) गोण्डा।

सौरभ त्रिपाठी उम्र 28 वर्ष पुत्र पवन त्रिपाठी, निवासी राधाकुण्ड, थाना को0 नगर, जनपद गोण्डा।

———————प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश।

——————— अभियोजन पक्ष।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–534/2026
मुकदमा अपराध संख्या–376/2023,
धारा–3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट,
थाना–को0 नगर, जनपद–गोण्डा।

<u>प्रथम जमानत आदेश</u>

01. प्रार्थी/अभियुक्त सौरभ त्रिपाठी द्वारा यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या–376/2023, धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर एक्ट, थाना–को0 नगर, जनपद–गोण्डा में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार पवन त्रिपाठी के शपथ पत्र से समर्थित है। प्रार्थी/अभियुक्त अरूण कुमार के प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य है कि प्रार्थी/अभियुक्त वारण्ट पर जेल है। प्रार्थी राजी रोटी के सिलसिले में बाहर मुरादाबाद में रहता है। प्रार्थी यदि गोण्डा में रहता तो पुलिस नए–नए मुकदमें फर्जी तरीके से लगा देती थी। प्रार्थी बाहर था, पैसा अधिवक्ता को समय से नहीं दे सका। इस कारण पैरवी नहीं की और वारण्ट हो गया। प्रार्थी परिवार में अकेला है, कोई और कमाने वाला नहीं है। प्रार्थी फरार नहीं था महज प्रार्थी वारण्ट पर जेल में है। प्रार्थी ने जान बूझ कर गलती नहीं की है, आगे से गलती नहीं करेगा। प्रार्थी का कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र मा0 हाई कोर्ट में न तो दिया गया न लम्बित है, न निरस्त हुआ है। प्रार्थी आइंदा मुकदमा निस्तारण में सहयोग करेगा और सभी शर्तो का पालन करेगा। अतः उक्त कथनों के आधार पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गई है।

02– अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये कथन किया गया कि अभियुक्त जान बूझ कर न्यायालय से अनुपस्थित होकर विचारण में सहयोग नहीं किया जा रहा है, और बार–बार अनुपस्थित होकर जमानत का दुरूपयोग करता है। अभियुक्त अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अतः अपराध की गम्भीरता के आधार पर जमानत का विरोध करते हुये जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

03– सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

04– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पूर्व से न्यायालय के आदेश दिनांक–12.07.2023 के अनुपालन में जमानत पर था, उसके द्वारा न्यायालय उपस्थित होने में व्यतिक्रम करने पर उसके विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट निर्गत किया गया था, जिस पर उसे पुलिस द्वारा दिनांक–06.12.2025 को गिरफतारी कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, तभी से अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार गोण्डा में निरूद्ध है। अभियुक्त द्वारा भविष्य में उपस्थित होने का बचन दिया गया है, जो शपथ पत्र से

Digitally signed by Alaka Yadav
Date: 2026.03.13 16:44:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

समर्थित है। पत्रावली में अभियुक्त का विचारण चल रहा है और अभियुक्त को जेल में निरूद्ध रखने से तत्काल किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण–दोष पर राय व्यक्त किये अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु आधार पर्याप्त है, तद्नुसार अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त सौरभ त्रिपाठी का जमानत आवेदन संख्या–534/2026 मुकदमा अपराध सं0–376/2023, धाराः3(1)उ0प्र0गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0, थाना को0 नगर, जिला गोण्डा में स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0–एक लाख रूपये के व्यक्तिगत बन्ध व तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

1– अभियुक्त न्यायालय में प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होता रहेगा और अभियुक्त बिना न्यायालय की अनुमति के अपने दिये हुये स्थान व पते को छोड़ कर बाहर नहीं जायेगा।

2– अभियुक्त द्वारा न्यायालय में विचाराधीन वाद में साक्ष्य के दौरान पूर्ण सहयोग करेगा।

3– अभियुक्त दौरान वाद विचारण गवाहों पर दबाव नहीं बनायेगा और न ही किसी गवाह का उत्पीड़न करेगा।

4– न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर आरोप व बयान धारा–313 दं0प्र0सं0 हेतु न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

5– अभियुक्त द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में अण्डटेकिंग प्रस्तुत करेगा कि यदि अभियुक्त जमानत की शर्तो का उल्लंघन करेगा तो जमानत आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।

(अलका यादव)
जे0ओ0 कोड़–यू.पी.1620
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश गैगेस्टर एक्ट, गोण्डा।

दिनांक–12.03.2026

(अलका यादव)

दिनांक–09.03.2026 **J.O.Code–**

U.P1620

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट),

गोण्डा।